

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2014/चैत्र 25, 1936

No. 891]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2014/CHAITRA 25, 1936

रेलवे मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2014

का.आ. 1084(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 26 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2706(अ), तारीख 06 सितंबर, 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कौषाम्बी में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् दैनिक जागरण और अमर उजाला में तारीख 26.10.2013 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और तदनुसार आदेश पारित किए गए;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेड कारीडोर के लिए जिला कौषाम्बी के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम: कौषाम्बी

क्रम सं०	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / प्लॉट सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हे०में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सिराथू	(1) हिसमपुर मडो	395 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.0465	मिठाई लाल, कल्लू, राम राज पुत्रगण मन्नी लाल, पंकज कुमार, नीरज कुमार ना.बा. पुत्रगण रमेश सं. सुरेखा देवी (माता), सुरेखा देवी पत्नी रमेश
		(2) डोडापुर	147	निजि.	कृषि	0.0026	राजेश सिंह पुत्र खेमराज सिंह, त्रिलोक सिंह पुत्र शिव नाथ सिंह, राकेश सिंह पुत्र खेमराज सिंह, बिनेश सिंह ना.बा. पुत्र खेमराज सिंह सं. विमला देवी (माता), विमला देवी पत्नी स्व. खेमराज सिंह
		(3) कुरामुरीदन	40	निजि.	कृषि	0.0585	बादल पुत्र राम प्रसाद
		(4) टीकरडीह	631 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.5637	बिन्देश्वरी प्रसाद, राजेन्द्र कुमार पुत्रगण राधे श्याम, श्रीमती गंगा देई पत्नी राधे श्याम, शंकर लाल, ज्ञान चन्द्र पुत्र चन्द्र पाल, श्रीमती चन्द्रकली पत्नी चन्द्र पाल
		(5) कनवार	2832	निजि.	कृषि	0.0648	अवधेश कुमार पुत्र राम प्रसाद, नागेन्द्र सिंह पुत्र देव नाथ सिंह
		(6) रसूलपुरगिरछा	271	निजि.	कृषि	0.3333	सुरेन्द्र नारायण पुत्र कौशल किशोर, श्रीमती सुचिता केसरी पत्नी उमेश चन्द्र केसरवानी, मनोज कुमार केसरवानी पुत्र राम गोपाल केसरवानी, मनोज कुमार पुत्र निरंजन लाल, श्रीमती रंजना गुप्ता गुप्ता पत्नी अमित कुमार, श्रीमती शिया दुलारी पत्नी कौशल किशोर
		(7) बिदनपुर	268 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.2762	मनोज कुमार, दिनेश कुमार, श्रवण कुमार, दिलीप कुमार पुत्रगण राधा रमन
		(8) नौड़िया आमद करारी	946 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.2337	भोलानाथ पुत्र आनन्दी प्रसाद, गिरजा शंकर पुत्र शारदा प्रसाद उर्फ छोटे लाल
		(9) सयारामीठेपुर	1059 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.0520	मोहम्मद सर्राफ, मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद वकील, मोहम्मद नसीम पुत्रगण मोहम्मद हनीफ
			844	निजि.	कृषि	0.0222	अवधेश सिंह पुत्र श्याम लाल, सुमित्रा देवी पत्नी अवधेश सिंह

2	चायल	(10) बम्हरोली	1768	निजि.	कृषि	0.0110	सत्य नरायन पुत्र खुद्दी
			1779	निजि.	कृषि	0.0874	सत्य नरायन पुत्र खुद्दी
		(11) सिराथू	765 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.1430	रमा शंकर पुत्र बसंत राम
		(1) सैयदसरांवा	1205 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.1220	सुनील कुमार, अनिल कुमार ना.बा. पुत्र कृष्णा देव सं. श्रीमती अनार कली (माता), श्रीमती अनार कली पत्नी स्व. कृष्णा देव
			1207	निजि.	कृषि	0.3416	मोहम्मद परवेज, फैज अबरार, आशिक अबरार, मोहम्मद नासिर अबरार पुत्रगण अबरार अहमद
		(2) महमूदपुर	50 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.0749	राम चन्द्र, रमेश चन्द्र पुत्रगण लल्लू
		(3) परसरा	580 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.2669	अमरनाथ, शंकर पुत्रगण छोदू, शारदा प्रसाद, संतलाल पुत्रगण पिताम्बर, श्रीमती इश्रावती देवी पत्नी ओम प्रकाश केशरवानी, ओम प्रकाश केशरवानी पुत्र बजरंग लाल केशरवानी, खेलई पुत्र किशोर, भवानी पुत्र गुलाम, भूईली पत्नी भवानी, रवीन्द्र प्रसाद, नरेन्द्र कुमार, सतेन्द्र प्रसाद पुत्रगण शिव प्रसाद, राम कैलाश पुत्र राम मनोहर, राम प्रसाद पुत्र कल्लू, श्रीपती पुत्री महादेव
		(4) मलाकनगर	65 मिन्ज	निजि.	कृषि	0.0149	राम सिंह पुत्र राम कैलाश
		(5) अमनीलोकीपुर	पुराना नं०-70/2	निजि.	कृषि	0.0138	यषवंत पुत्र राम नाथ
			नया नं०-123				

[फा. सं. 2013/एलएमएल/12/7-ईसी/461]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं- I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAYS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2014

S.O. 1084(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2706(E), dated 6th September, 2013 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 6th September, 2013 and issued under section (1) of sub section 20(A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the special railway project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Kaushambi in the State of Uttar Pradesh.

And Whereas, the substance of the said notification was published in the daily local News papers, namely, Dainik Jagran dated 26th October 2013 and Amar Ujala dated 26th October 2013 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and accordingly orders have been passed.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;.

And, further, in pursuance of sub section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district of Kaushambi in the State of Uttar Pradesh for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor.

Name of District : Kaushambi

S.No.	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area (In hect)	Name of the land owner/Interested Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sirathu	(1)Hisampur Madho	395 (Minj)	Private	Agriculture	0.0465	Mithai Lal, Kallu, Ram Raj S/o Manni Lal, Pankaj Kumar, Niraj Kumar (Minor) S/o Ramesh gurd. Surekha Devi (Mother), Surekha Devi W/o Ramesh
		(2) Dodapur	147 (Minj)	Private	Agriculture	0.0026	Rajesh Singh S/o Khemraj Singh, Trilok Singh S/o Shiv Nath Singh, Rakesh Singh S/o Khemraj Singh, Binesh Singh (Minor) S/o Khemraj Singh gurd. Vimla Devi (Mother), Vimla Devi W/o Late Khemraj Singh
		(3) Kuramu-reedan	40	Private	Agriculture	0.0585	Badal S/o Ram Prasad
		(4) Tikardeeh	631 (Minj)	Private	Agriculture	0.5637	Vindeshwari Prasad, Rajendra Kumar S/o Radhey Shyam, Smt. Ganga Dei W/o Radhey Shyam, Shankar Lal, Gyan Chandra S/o Chandra Pal, Smt. Chandrakali W/o Chandra Pal
		(5) Kanwar	2832	Private	Agriculture	0.0648	Awdhesh Kumar S/o Ram Prasad, Nagendra Singh S/o Dev Nath Singh
		(6) Rasoolpur Gircha	271	Private	Agriculture	0.3333	Surendra Narain S/o Kaushal Kishor, Smt. Suchita Kesri W/o Umesh Chandra Kesharwani, Manoj Kumar Kesharwani S/o Ram Gopal Kesharwani, Manoj Kumar S/o Niranjana Lal, Smt. Ranjana Gupta W/o Amit Kumar, Smt. Shiya Dulari W/o Kaushal Kishor
		(7) Bidanpur	268 (Minj)	Private	Agriculture	0.2762	Manoj Kumar, Dinesh Kumar, Shrawan Kumar, Dileep Kumar S/o Radha Raman
		(8) Naudiya Amad Karari	946 (Minj)	Private	Agriculture	0.2337	Bhola Nath S/o Aanandi Prasad, Girja Shankar S/o Sharda Prasad Urf Chhote Lal
		(9) Sayara-meethepur	1059 (Minj)	Private	Agriculture	0.0520	Mohd Sarraf, Mohd Latif, Mohd Ateek, Mohd Rafique, Mohd

2	Chayal						Wakeel, Mohd Naseem S/o Mohd Haneef.
			844	Private	Agriculture	0.0222	Awdhesh Singh S/o Shyam Lal, Sumitra Devi W/o Awdhesh Singh
		(10) Bamhroli	1768	Private	Agriculture	0.0110	Satya Narain S/o Khuddi
			1779	Private	Agriculture	0.0874	Satya Narain S/o Khuddi
		(11) Sirathu	765 (Minj)	Private	Agriculture	0.1430	Rama Shankar S/o Basant Ram
		(1) Sayyid Sarawan	1205 (Minj)	Private	Agriculture	0.1220	Suneel Kumar, Anil Kumar (Minor) S/o Krishna Dev gurd. Smt. Anaar Kali (Mother), Smt. Anaar Kali W/o Late Krishna Dev
			1207	Private	Agriculture	0.3416	Mohd Parwez, Faiz Abrar, Aashiq Abrar, Mohd Nasir Abrar S/o Abrar Ahmad
		(2)Mehmoodpur	50 (Minj)	Private	Agriculture	0.0749	Ram Chandra, Ramesh Chandra S/o Lallu
		(3)Parsara	580 (Minj)	Private	Agriculture	0.2669	Amarnath, Shankar S/o Chhotu, Sharda Prasad, Santlal S/o Pitamber, Smt. Ishrawati Devi W/o Om Prakash Keserwani, Om Prakash Keserwani S/o Bajrang Lal Kesarwani, Khelai S/o Kishor, Bhawani S/o Gulam, Bhuili W/o Bhawani, Ravindra Prasad, Narendra Kumar, Satyendra Prasad S/o Shiv Prasad, Ram Kailash S/o Ram Manohar, Ram Prasad S/o Kallu, Sripati D/o Mahadev
		(4)Malaknagar	65 (Minj)	Private	Agriculture	0.0149	Ram Singh S/o Ram Kripal
		(5)Amnilokipur	Old No. 70/2	Private	Agriculture	0.0138	Yaswant Singh S/o Ram Nath
			New No.123				

[F. No. 2013/LML/12/7-EC/461]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)